

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/102921/KPN/KANPUR NAGAR/2756/CFO

दिनांक : 18-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE** पता **ARAJI NO 2123 MAHARAJPUR, G T ROAD, KANPUR NAGAR** तहसील - **NARVAL** प्लाट एरिया **933.77 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1867.54** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई    |
|------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| BLOCK A    | 2                                 | 0                  | 7.30 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-03-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAM KUMAR YADAV E-Mail ID : h.rkgalaxy91@gmail.com Mobile No. : 961666651** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-03-2025** से **29-03-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE**

अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवाध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"**

**Note :** प्रभारी अग्निशमन अधिकारी-Jajmau की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन NBC-2005 & उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 , नियमावली-2024 के अनुसार एन0बी0सी0 निर्गत किया जा रहा है:- 1.जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2.फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अहं एजेन्सी से कराया जाये। 3.विद्युत सुरक्षा निदेशालय से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा। 4.यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**DEEPAK SHARMA**

D294717EEDD2F2586BB24BD5D6D9135AD528C0BF

30-03-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 30-03-2025  
स्थान : KANPUR NAGAR

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.*